



2026:AHC-LKO:9913-DB

इलाहाबाद उच्च न्यायालय**लखनऊ****रिट - सी संख्या - 791 सन 2026**

मेसर्स अमर दीप सिंह, अमर ब्रिक फील्ड द्वारा प्रोप्राइटर
अमर दीप सिंह

..... याचिकाकर्ता(ओं)**बनाम**

सदस्य सचिव, उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ एवं
अन्य

.....प्रतिवादी(ओं)

याचिकाकर्ता(ओं) के अधिवक्ता :	अजय सिंह
प्रतिवादी(ओं) के अधिवक्ता :	अशोक कुमार वर्मा

न्यायालय संख्या - 1**माननीय न्यायमूर्ति राजन राय****माननीय न्यायमूर्ति अमिताभ कुमार राय**

प्रतिवादियों की ओर से अधिवक्ता श्री अशोक कुमार वर्मा द्वारा आज दायर संक्षिप्त प्रतिवाद शपथ-पत्र अभिलेख में ले लिया गया है।

प्रतिवादियों के विद्वान अधिवक्ता श्री अशोक कुमार वर्मा का कहना है कि याचिकाकर्ता द्वारा संचालन की अनुमति के लिए दिए गए आवेदन के परिणामस्वरूप पोर्टल पर अपलोड की गई पर्यावरण अभियंता की रिपोर्ट में कुछ दस्तावेजों के संबंध में गलत तथ्य हैं, जिन्हें याचिकाकर्ता/आवेदक द्वारा कथित तौर पर अपलोड नहीं किया गया था। अतः, आक्षेपित आदेश वापस लिया जाता है और आवेदन पर अब नए सिरे से विचार किया जाएगा।

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

हमने दिनांक 07.02.2026 के आदेश का अवलोकन किया है, जो संक्षिप्त प्रतिवाद शपथ-पत्र के साथ संलग्न है। अब कोई निर्णय लेने की आवश्यकता नहीं है। याचिका का निस्तारण उपरोक्त शर्तों के अनुसार किया जाता है।

हालाँकि, यह स्पष्ट किया जाता है कि वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा 21(4) का अक्षरशः पालन किया जाएगा।

याचिकाकर्ता द्वारा आवेदन प्रस्तुत करने की तिथि को प्रारंभिक बिंदु मानते हुए, निर्धारित वैधानिक अवधि को ध्यान में रखते हुए, उपर्युक्त अनुसार यथाशीघ्र एक नया निर्णय लिया जाए।

फ़रवरी 9, 2026

महेश

[न्यायमूर्ति अमिताभ कुमार राय]

[न्यायमूर्ति राजन राय]

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।